

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामावतार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/17

निर्णय दिनांक: 16/8/17

1. मंगलपुरी पुत्र हुक्मपुरी जाति स्वामी निवासी उदासर जिला बीकानेर।
2. मु. नैनू देवी पत्नि मंगलपुरी जाति स्वामी निवासी नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांटस्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 21-02-2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 21-02-2004 जिसके द्वारा अपीलांट को मुहरबन्द आवंटन श्रेणी की भूमि भूमिहीन आवंटन में आवंटित की गई, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 6-8 टी0डब्ल्यू0एम0 के मुर्ब्बा नम्बर 104/32 के किला नम्बर 2 ता 20, 21 ता 25 में 23 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 21-02-2004 को सलाहकार समिति की राय से आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटित की गई है जबकि उपरोक्त भूमि मुहरबन्द आवंटन श्रेणी की है। अपीलांट को उक्त भूमि भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन नहीं की जा सकती थी। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21-02-2004 को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त रकबा मुहरबन्द श्रेणी में अन्य को आवंटित हो चुका है। अपीलांट अपनी पात्रता अनुसार भूमिहीन के तहत आवंटन श्रेणी में भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द श्रेणी की भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 के विरुद्ध अपील दिनांक 09-05-17 को पेश की है। जो कि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 09-05-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसील कोलायत के चक 6-8 टी0डब्ल्यू0एम0 के मुरब्बा नम्बर 104/32 के किला नम्बर 2 ता 20, 21 ता 25 में 23 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 21-02-2004 को सलाहकार समिति की राय से आवंटन की गई। किन्तु अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी जैर मुहरबन्द आवंटन श्रेणी की है तथा मोहरबन्द श्रेणी में आराजी जै अन्य को आवंटित की जा चुकी है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। इसलिए अपीलांट का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना साबित है। अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को नियमानुसार उसकी पात्रता की पुनः जाँच करते हुए उसी किस्म की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.8.17 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
राजस्थान (अपील अधिकारी)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर